

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(2)न्याय/2013

जयपुर, दिनांक 26 JUL 2016

::आज्ञा::

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कनिष्ठ विधि अधिकारियों की दो वर्ष के परिवीक्षाधीन आधार पर नियुक्ति इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.22(2)न्याय/2013 दिनांक 23.05.2016 को की गई थी।

उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में निम्न अभ्यर्थी ने अन्य सेवा में चयन हो जाने के कारण कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में विभाग में पत्र प्रेषित किया, जिसके आधार पर निम्न अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है :-

क्र.सं.	मेरिट नं.	अभ्यर्थी का नाम	पता
1.	113	प्रीति सिंह	50-ए, सैनी कॉलोनी-प्रथम, करतारपुरा, जयपुर, राजस्थान।


राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

-६०-

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचभार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित उपरोक्त अभ्यर्थी।
5. निजी पत्रावली।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव